समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 914/III/2011 विरूद्व आदेश दिनांक 03–06–2011 – पारित – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क. 678/2010–11 अपील

1– रामानुज पुत्र हनुमान राम
2– सुग्रीव पुत्र मथुराप्रसाद पटैल
3– कन्हैयालाल पुत्र मथुराप्रसाद पटैल
4– रामनरेश पुत्र मथुराप्रसाद
5– राजेश पुत्र सुग्रीव प्रसाद
6– मोतीलाल पुत्र मथुराप्रसाद पटैल
सभी निवासीगण ग्राम बराव
तहसील हनुमना जिला रीवा ––आवेदकगण

विरूध्द

1– सुश्री नीता देवी पुत्री जगदीश प्रसाद
2– श्रीमती कमलावती पत्नि स्व0 जगदीश प्रसाद
दोनों निवासी ग्राम बराव
तहसील हनुमना जिला रीवा ––अनावेदक

आवेदकगण के अभिभाषक श्री लखन सिंह धाकड़
अनावेदकगण के अभिभाषक श्री डी.एस.चौहान

आदेश

(आज दिनांक 2–4–2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 678/10–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 03–06–2011 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपर जिला न्यायाधीश मऊगंज व्दारा व्यवहार वाद कमांक 40/ए/2001 में पारित आदेश दिनांक 09–02–04 के अनुसार अनावेदक क–1 ने नायब तहसीलदार सर्किल पहाड़ी तहसील हनुमना को आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम उराव स्थित कुल किता 12 कुल रकबा 14.04 एकड़ (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर डिकी अनुसार नामान्तरण किये जाने

हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 01/2009-10 अ 6 पंजीबद्व किया तथा हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 06-10-2009 पारित किया तथा मान. अपर जिला न्यायाधीश मउञ्रांज व्दारा व्यवहार वाद कमांक 40 ए/2001 में प्रदत्त डिकी दिनांक 09-02-04 के अनुसार नामान्तरण करना आदेशित किया।

नायव तहसीलदार के उक्तादेश के विरूद्व अपील अनुविभागीय अधिकारी मउञ्रांज के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 14/ए-6/09-10 में पारित आदेश दिनांक 28-12-10 से अपील अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 678/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 03-06-2011 से अपील अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को यथावत् रखा गया। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ अंतिम तर्क हेतु नियत तिथि 21-2-14 को आवेदकगण के अभिभाषक एंव अनावेदकगण के अभिभाषक ने लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु समय मांगा। आगामी तिथि 7-3-14 को अनावेदकगण के अभिभाषक ने लिखित तर्क प्रस्तुत किये, जिसकी एक प्रति आवेदकगण के अभिभाषक को दी गई , जिन्होंने लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु 7 दिवस का समय मांगा, जो दिया गया, किन्तु पेशी 13-3-14 तक उन्होंने लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये, जिसके कारण उपलब्ध अभिलेख के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है।

4/ निगरानी मेमो में वर्णित तथ्यों एंव अनावेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी तर्कों पर विचार किया गया। वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम उराव स्थित कुल किता 12 कुल रकबा 14.04 एकड़ पर पक्षकारों के बीच अपर जिला न्यायाधीश मउञ्रांज के न्यायालय में व्यवहार वाद कमांक 40 ए/2001 चला, जिसमें आदेश दिनांक 09-02-04 से उत्तरवादी कमांक 1 का हिस्सा 1/2 निर्धारित किया गया और उसके हिस्से की सीमा तक प्रतिवादी कमांक 1 व्दारा प्रतिवादी कमांक 2

लगायत 6 व प्रतिवादी कमांक 9 के पक्ष में निष्पादित विकय पत्र तथा प्रतिवादी कमांक 7 के पक्ष में निष्पादित दानपत्र शून्य व प्रभावहीन घोषित किये गये तथा वादिया वादग्रस्त भूमियों में से संयुक्त खाते का विधिवत् बटवारा कराकर अपने हिस्से पर प्रतिवादीगण से कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी घोषित हुई है और माननीय अपर जिला न्यायाधीश व्दारा दिये गये आदेश दिनांक 9–2–04 के पालन में नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 01/2009–10/अ–6 में आदेश दिनांक 06–10–2009 पारित किया है। प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु है कि क्या माननीय अपर जिला न्यायाधीश व्दारा दिये गये आदेश दिनांक 9–2–04 के पालन में नायव तहसीलदार व्दारा दिये गये आदेश दिनांक 06–10–2009 के विरूद्व राजस्व न्यायालय में अपील पोषणीय है ?

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) धारा–44– अपील – व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में राजस्व अधिकारी व्दारा दिया गया आदेश – ऐसे आदेश के विरूद्व अपील राजस्व न्यायालय में न होकर व्यवहार न्यायालय के अपीलीय न्यायालय में अपील होगी।

2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) धारा–109, 110– व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है – राजस्व न्यायालय आदेश के अमल हेतु बाध्य है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि माननीय अपर जिला न्यायाधीश व्दारा दिये गये आदेश दिनांक 9–2–04 के पालन में नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 06–10–2009 से राजस्व अभिलेख में अमल किया है जिसके कारण नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 06–10–2009 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख में आये तथ्यों अनुसार नायव तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 01/2009–10/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 06–10–2009 में निकाले गये निष्कर्ष तथा अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज द्वारा प्रकरण कमांक 14/ए–6/09–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–12–10 में निकाले गये तथ्यात्मक निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण

कमांक 678/10–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 03–06–2011 में निकाले गये निष्कर्ष समान–स्वरूप के हैं–

भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) धारा–44– अपील – अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा अभिलेख अनुसार आये तथ्यों पर समरूप निष्कर्ष दिये – अपील/निगरानी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 678/10–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 03–06–2011 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर